

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme Jaipur 302005)

(Phone Number- 0141-2222683 E-mail-add4ng@gmail.com)

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोध./सामा/(29740) 2026/13

दिनांक:- 08/01/2026

### —:आदेश:—

श्रीमती निर्मला, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाबूपुरा (जोधपुर) के निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 464 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा दिनांक 29.5.2025 से 30.9.2025 तक 490 दिवस का असाधारण अवकाश निरस्त करते हुये कार्मिका की स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 08.05.2026 से 04.09.2026 तक 120 दिवस उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 05.09.2026 से 31.03.2027 तक 208 दिवस असाधारण अवकाश।
3. दिनांक 08.01.2026 से 07.05.2026 तक 120 दिवस का चार्डिल्ड केयर अवकाश संबंधित नियंत्रण अधिकारी को अपने स्तर से स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोध./सामा/(29740) 2026/13

दिनांक:- 08/01/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर शहर।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाबूपुरा (जोधपुर शहर)
7. संबंधित कार्मिका को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :08-01-2026 05:49:49